रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 1971/पौष 17, 1892

No. 11] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 1971/PAUSA 17, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January 1971

S.O. 211.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13C of the representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 429/A & NI/69, dated the 13th November, 1969, namely:—

For the existing entries at items 5 and 6 appended to the said notification the following shall respectively be substituted:—

5. Shri P. N. Kaul, Tahsildar, Car Nicobar.

6. Shri K. Sethuraman, Assistant Commissioner, Nancowrie.

[No. 429/A & NI/69.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1971

एस० ओ० 21[.]—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13—ग की उपधारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना संख्या 429/अ० नि० द्वी/69, तारीख 13 नवम्बर, 1969, में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न मद 5 और 6 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

5. श्री पी० एन० कौल,
 तहसीलदार,
 कार निकोबार ।

6. श्री के० सेथूरामन,
 सहायक आयुक्त,
 नानकाउरी ।

[सं० 429/अ० नि० द्वी०/69]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971